उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या- 25/2016/888/94-स्टा०नि०-2-2016-500(64)/80

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

<u>आदेश</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-445/क०नि०/11-7-2013-500(64)-80, दिनांक 17-05-2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है। यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रू० 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होगी। सम्पत्ति का मूल्यांकन रू० 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रू० 20 लाख से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

प्रतिबंध यह है कि:-

(1) भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों में से प्रत्येक के विधिक आश्रितों में से किसी एक आश्रित, जिसके लिए उसके अन्य आश्रितों की सहमति हो, को ही यह छूट अनुमन्य होगी।

(2) यह छूट, पात्रता की दशा में उपर्युक्त को एक ही बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2016/888/94/स्टा०-नि०-2-2016-500(64)/80, दिनांक 11 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 11-11-2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(भैरव नाथ शुक्ल)

अनु सचिव।

संख्या-25/2016/888/94/स्टा०-नि०-2-2016-500(64)/80, दिनांक 11 नवम्बर,2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
7. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 25/2016/888/94-S.R.-2-2016-500(64)/80, dated 11 November ,2016 for general information.

<u>Notification</u>

<u>Order</u>

No. 25/2016/888/94-S.R.-2-2016-500(64)/80

Lucknow, Dated, 11 November , 2016

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor in supersession of Government notification no. 445/Ka.Ni./XI-7-2013-500(64)-80, Dated 17 may, 2013, is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on the instruments of conveyance under clause (a) of Article-23 and on the instruments of lease under Article-35 of Schedule 1-B executed in favour of ex-servicemen and legal dependents of martyr soldiers and legal dependents of martyrs of paramilitary and Central Armed Police Forces. The remission shall be available up to first Rs. 20 lakh of the valuation of the properties. In case the valuation exceeds Rs. 20 lakh, the stamp duty shall be chargeable on the valuation after first Rs. 20 lakh.

Provided that,

(1) this remission shall be available to any one ex-serviceman legal dependent of martyr soldier, martyr Paramilitary and martyr Central Armed Police Force in favour of whom other dependents agree.

(2) This remission shall be available only once in case of eligibility.

By order

(Anil Kumar)

Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।